न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/6ए/02/2023

राजस्थान सरकार जरिये पवन अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी,भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1—अशोक गुप्ता पुत्र हरीश चन्द गुप्ता निवासी सहयोग नगर भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (आपूर्ति का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत जप्त शुदा सिलेण्डरों को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :—

1— पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी,

2—श्री रमन लाल मित्तल अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 19.06.2024

प्रार्थी की ओर यह प्रार्थना पत्र धारा 6ए इस आशय का पेश किया संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.1.2019 को जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देश पर पुलिस थाना मथुरा गेट की सूचना पर सहयोग नगर भरतपुर में घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रिफलिंग के दौरान हुई आगजनी की घटना में घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण के विरुद्व मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की गई। मौके पर मौतविरानों के बयानों एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के अनुसार अशोक गुप्ता पुत्र हरीश चन्द गुप्ता द्वारा अपने मकान के आगे घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहनों में अवैध रिफलिंग का कार्य किया जाता है। दिनांक 31.1.2019 को अशोक गुप्ता द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाहन के रिफलिंग के दौरान अचानक आग लगने से अशोक गुप्ता का स्वयं का मकान जल गया एवं उसके घर के सामने श्रीमती उमा शर्मा के मकान में आग लगने से घरेलू सामान नष्ट हो गया। अशोक गुप्ता के घर के सामने गैस रिफलिंग किये जाने वाला वाहन भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया । मौके से अशोक गुप्ता फरार हो गया एवं उसके परिजनों ने जांच में किसी भी प्रकार का

2.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

सहयोग नहीं किया गया, मौके से बजहसबूत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (03 बीपीसीएल एवं 01 एचपीसीएल कम्पनी के) मय गैस 22.500 किग्रा. जिनमें एक सिलेण्डर मय रेग्यूलेटर जला हुआ है जो जप्त किया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रौलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3,4 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में दोषी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 86/2019 दिनांक 31.1.19 को दर्ज कराई गई है। अन्त में निवेदन किया है कि जप्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों (03 बीपीसीएल एवं 01 एचपीसएल कम्पनी के) को मय गैस 22.500 किग्रा को राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

प्रस्तुत प्रार्थना धारा 6ए ईसी. एक्ट पर विधिवत सुनवाई की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.1.2023 को प्रार्थना पत्र धारा 6ए स्वीकार किया जाकर जप्त शुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों (03 बीपीसीएल एवं 01 एचपीसएल कम्पनी के) को मय गैस 22.500 किग्रा राजसात (Confiscate) किये जाने एवं जप्त गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा कराने तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86(23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराये जाने की आज्ञा जिला रसद अधिकारी भरतपुर को दी गई है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.1.2023 के खिलाफ एक अपील अशोक गुप्ता पुत्र हरीश चन्द (अप्रार्थी) ने माननीय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या–2 भरतपुर राज0 के न्यायालय में पेश की गई।

माननीय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या–2 भरतपुर राज0 ने उक्त अपील संख्या 11/2023, सी.आई.एस. नंवर 24/2023 उनवानी अशोक गुप्ता बनाम राज0 सरकार जरिये पवन अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22.8.2023 में विस्तृत विवेचन करते हुये आदेश पारित किया जो इस प्रकार है :–

"..... अपीलार्थी/अभियुक्त अशोक गुप्ता पुत्र श्री हरीश चन्द गुप्ता निवासी सहयोग नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर (राज0) की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील इस आदेश

3.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

के साथ स्वीकार फरमाई जाती है कि पारुल बंसल व विनय कुमार को उचित नोटिस व सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें.....।"

माननीय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या–2 भरतपुर निर्णय दिनांक 22.8.2023 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पारुल बंसल व विनय कुमार को विधिवत नोटिस जारी किये गये। पारुल बंसल व विनय कुमार के नोटिस बाद तामील शामिल मिसिल है।

पारुल बंसल व विनय कुमार की ओर से अभिभाषक श्री रमनलाल मित्तल का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। पारुल बंसल व विनय कुमार की ओर से नोटिस का जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल है। पैरोकार सरकार रसद एवं पारुल बंसल व विनय कुमार के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने वस्तु स्थिति की बारे में बताया। पैरोकार सरकार का तर्क है कि प्रार्थी की ओर से प्रकरण धारा 6ए ईसी एक्ट उनवानी राज0 सरकार जरिये पवन अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी भरतपुर बनाम अशोक गुप्ता पुत्र हरीश चन्द गुप्ता के खिलाफ श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया था श्रीमान द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विधिवत सुनवाई कर श्रीमान द्वारा दिनांक 24.1.2023 को विस्तृत आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाकर मौके से जप्त गैस सिलेन्डरों को राजसात किये जाने की आज्ञा दी गई है। पैरोकार रसद का तर्क है कि पारुल बंसल व विनय कुमार ने माननीय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या–2 भरतपुर में अपील कर जप्त सिलेण्डरों को अपने बताते हुये, घर से जप्त करने की बात कहकर जप्त सिलेण्डर दिलाये जाने की मांग की है ये सारी कार्यवाही पारुल बसंल एवं विनयकुमार की पाश्चतवर्ती सोच के तहत अपने कृत्यों को छुपाने के लिये की गई है, पैरोकार सरकार का यह भी कहना है कि अगर जप्त सिलेण्डर पारुल बंसल व विनय कुमार के होते तो ये तत्सयम धारा 6 ए ईसी एक्ट के तहत विचाराधीन केस में आकर भी श्रीमान के समक्ष गैस सिलेण्डरों को दिलाये जाने की मांग रख सकते थे, परन्तु ऐसा नहीं किया क्यों कि फर्द मौका–जप्ती सुपुर्दगी की कार्यवाही के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई सहयोग नहीं किया, अगर प्रार्थी घरों में से सिलेण्डरों को निकाल कर लाते तो मौके पर उपस्थित मौतविरान अवश्य ही विरोध करते परन्तु मौके पर ऐसा नहीं हुआ। जप्त गैस सिलेण्डर बाहर अवैध गैस रिफलिंग के लिये अप्रार्थी अशोक द्वारा रखे हुये थे, प्रार्थी द्वारा पारुल या विनयकुमार के घर से निकाल कर नहीं लाये गये हैं। मौके पर कार्यवाही फर्द मौका–जप्ती व सुपुर्दगी मे उपस्थित पड़ोसीयों ने हस्ताक्षर किये हैं। अप्रार्थी श्री अशोक कुमार तो घटना के बाद घर छोड़ कर भाग गया था। अशोक के घरवालों ने

4.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

जांच में कोई सहयोग नहीं किया। पैरोकार रसद का यह भी तर्क है कि घरेलू गैस सिलण्डरों का उपयोग रसोई घर में होता है ना की बाहर, अगर जप्त घरेलू गैस सिलण्डरों को पारुल बंसल एवं विनय कुमार अपने बताते हैं तो इन्हें बताना चाहिये कि जप्त गैस सिलण्डर रसोई से बाहर अशोक के पास कैसे/क्यों आये, यानि पारुल बसंल एवं विनय कुमार भी अशोक के साथ वाहनों में घरेलू गैस सिलेण्डर रिफलिंग के कृत्य में सहयोगी हैं। यहॉ पैरोकार रसद का यह तर्क है कि वक्त मौका जांच में उपस्थिति पड़ोसीयों ने बताया कि अप्रार्थी अशोक लम्बे समय से वाहनों में घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैस की अवैध रिफलिंग कार्य में लिप्त था। जप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का पारुल बंसल एवं विनय कुमार का कोई लेना देना नहीं है। पैरोकार रसद ने बताया कि सम्बन्धित गैस ऐजेन्सी से जांच करने बताया गया कि विनय कुमार पुत्र हरीशचन्द ने माह अप्रेल 2024 में गैस की रिफलिंग कराई है। विनय कुमार के दो गैस सिलेण्डर जप्त किये गये हैं, जब कि विनय कुमार आज भी अपने गैस कन्ज्यूमर नम्बर से रिफलिंग करा रहे हैं, गैस कम्पनी द्वारा एक कनेक्सन पर दो गैस सिलेण्डर दिये जाने का प्रावधान है, यानि जप्त गैस सिलेण्डर विजय कुमार के नहीं हैं। जप्त गैस सिलेण्डरों को राजसात सही किया गया है।

योग्य अभिभाषक श्री रमन लाल मित्तल ने बताया कि प्रार्थीया पारुल बंसल अपने परिवार के साथ सहयोग नगर में रहती है व खाना पकाने हेतु बीपीसीएल का गैस कनैक्शन लिया हुआ है, प्रवर्तन अधिकारी ने प्रार्थीया के घर के अन्दर से एक सिलेन्डर को जप्त किया है, जो नियमों के तहत गलत है, प्रार्थीया ने किसी भी नियम कानून के प्रावधान का कोई उलंघन नहीं किया है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि विनय कुमार अपने परिवार के साथ रहता है जिसने अपने घरेलू उपयोग खाने के लिये बीपीसीएल कम्पनी से दो गैस सिलेण्डर लिये हुये है, उन दो गैस सिलेन्डरों को अवैध रुप से सीज कर लिया है। उनका यह भी कहना है कि प्रवर्तन अधिकारी ने घर में से प्रार्थीयान के घरेलू गैस सिलेन्डरों को जप्त किया है। प्रार्थीयान का गैस सिलेंडरों का अवैध गैस रिफिलिंग से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थीयान को उनके जप्त गैस सिलेन्डरों को लौटाये जाने के आदेश दिये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कथनों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। पारुल बंसल एवं विनय कुमार द्वारा प्रकरण धारा 6 ए ईसी एक्ट में जप्त गैस सिलेन्डर को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक के कथनों से प्रकरण में निम्न बिन्दू तय किये जाने हैं–

1– क्या प्रवर्तन अधिकारी ने गैस सिलेन्डरों को पारुल बंसल एवं विनय कुमार के घर मे रसोई से जप्त किये हैं ?
2– क्या प्रार्थी पारुल बंसल एवं विनय कुमार ने वक्त जप्ती कार्यवाही इसका विरोध दर्ज कराया था ?
3– क्या प्रार्थी जप्त गैस सिलेण्डर प्राप्त करने के हकदार हैं ?

5.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

1 व 2– प्रार्थी पारुल बंसल एवं विनय कुमार का ये कहना कि जांच अधिकारी ने उनके घर के अन्दर से सिलेन्डर जप्त किये हैं, प्रार्थीयान ने अपने जुबानी कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया है जिससे उनके मौखिक कथनों को बल मिलता हो। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीयान पारुल बंसल एवं विनय कुमार ने गैस सिलेन्डरों के बाबत कहीं भी उज्रदारी नहीं की है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.1.2023 के खिलाफ भी माननीय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या–2 भरतपुर के यहॉ अपील की गई वह भी अशोक कुमार पुत्र हरीशचन्द द्वारा की गई है उसमें भी अप्रार्थी अशोक कुमार ने जप्त गैस सिलेन्डर पारुल बंसल एवं विनय कुमार के बताते हुये प्रार्थना की..... गई है। योग्य अभिभाषक प्रार्थीयान का कहना है कि घर में से गैस सिलेन्डरों को जप्त किया गया है। ऐसा कोई साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि गैस सिलेन्डरों को जांच अधिकारी ने घर में घुस कर जप्त किया हो। जब कि जांच अधिकारी मौका जांच फर्द जप्ती कार्यवाही दिनांक 31–01–2019 का अवलोकन किया गया जो विस्तृत है, में चार घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये गये है, प्रवर्तन अधिकारी ने सारी कार्यवाही पड़ोसीयों की उपस्थिति में की गई है, पड़ोसीयों ने भी अशोक कुमार के खिलाफ वाहनों मे अवैध गैस रिफलिंग करने की शिकायत भी जांच अधिकारी से की है, तथा की गई कार्यवाही पर अपने हस्ताक्षर किये हैं, वक्त जांच घर के किसी सदस्य ने गैस सिलेण्डर जप्ती बाबत कोई उज्र नहीं किया और ना ही कोई उज्र दर्ज कराये जाने का उल्लेख है। प्रवर्तन अधिकारी रसद द्वारा अप्रार्थी अशोक कुमार के खिलाफ धारा 6 ए ईसी एक्ट का प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया और उस में अशोक कुमार ने पैरवी की है। यहॉ विचारणीय प्रश्न है कि जब इस न्यायालय में गैस सिलेण्डर जप्ती का प्रकरण विचाराधीन था और अप्रार्थी अशोक कुमार को इसकी जानकारी थी। पारुल बंसल एवं विनय कुमार के द्वारा जप्त गैस सिलेण्डरों को सुपुर्दगी बाबत कार्यवाही नहीं करना भी प्रश्नात्मक है, इससे अप्रत्यक्षरूप से यह जाहिर करता है कि जप्त गैस सिलेण्डर पारुल बंसल एवं विनय कुमार के नहीं थे अब अपने कृत्य को छुपाने के लिये बाद की सोच के तहत यह कार्यवाही अप्रार्थी अशोक कुमार द्वारा की गई है।

यहॉ यह भी विचाराणीय प्रश्न है कि एक उपभोक्ता को एक गैस कन्केशन पर दो गैस सिलेण्डर मिलते हैं, मुताविक विनय कुमार के दोनों गैस सिलेण्डर जप्त कर लिये गये हैं, यानि विनय कुमार के पास अब गैस कन्केशन का कोई सिलेण्डर नहीं बचा है, परन्तु पैरोकार रसद की ओर से पेश की गई राज गैस ऐजेन्सी रिफलिंग कनेक्शन नम्बर 52427723 जो कि विनय कुमार पुत्र हरीश चन्द के नाम है पर गैस रिफलिंग बुक कराई जाकर दिनांक 8.4.2024 को गैस रिफलिंग की डिलिवरी विनय कुमार द्वारा प्राप्त की गई है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जप्त गैस सिलेण्डर प्रार्थीयान के नहीं थे। अप्रार्थी अशोक कुमार की ओर से ये सारी कार्यवाही स्वयं के कृत्यों को छुपाने के लिये की गई है।

6.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

3– बिन्दू संख्या 2 व 3 में विवेचनानुसार प्रार्थीयान गैस सिलेण्डर प्राप्त करने के हकदार नहीं रहते हैं।

यहॉ ये उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय में पूर्व प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए ईसी एक्ट उनवानी राज0सरकार जरिये पवन अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी भरतपुर बनाम अशोक कुमार पुत्र हरीश चन्द गुप्ता दर्ज प्रा.पत्र/6ए/04/2019 निर्णय दिनांक 24.1.2023 को प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ई.सी.एक्ट स्वीकार किया जाकर जप्त चार गैस सिलेण्डरों को राजसात (Confiscate) किये जाने की आज्ञा दी गई है व उक्त विवेचनानुसार यथावत रखे जाने योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया पारूल बंसल एवं विनय कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् लौटाये जाने गैस सिलेण्डर, सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

प्रार्थना धारा 6ए ईसी. एक्ट पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.1.2023 को यथावत रखा जाकर जप्त शुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों (03 बीपीसीएल एवं 01 एचपीसएल कम्पनी के) को मय गैस 22.500 किग्रा राजसात (Confiscate) किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है एवं जप्त गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा कराने तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराये जाने की आज्ञा जिला रसद अधिकारी भरतपुर को दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर